भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

समानता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है । लेकिन ये अधिकार सिर्फ सरकारी संस्थानों के विरुद्ध मिलते हैं न कि निजी इकाइयों के । कानून के अंतर्गत कोई भी सरकारी संस्था किसी भी व्यक्ति के लिंग, धर्म, जाति, धार्मिक मत या जन्मस्थल के आधार पर सामाजिक या व्यवसायिक भेदभाव नहीं कर सकती ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार भी एक मूलभूत अधिकार है । यह माना जाता है कि राज्य हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त कराए । एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में चिकित्सा या प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता । अगर उन्हें इलाज से मना किया जाता है तो वो कानूनी तरीके से अपने इस अधिकार को लागू कर सकते हैं ।

इसी तरह एक एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति के साथ नौकरी के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति नौकरी से लंबी बीमारी के आधार पर ही निकाला जा सकता है । पर कोई एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति जो काम करने के लिए ठीक है और जिससे दूसरों को अधिक खतरा नहीं है नौकरी से नहीं निकाला जा सकता । ऐसे मामलों में नौकरी से निकाले जाने पर वह व्यक्ति कानूनी कार्यवाही कर सकता है ।

इसलिए यह सार्वजनिक कुऐं के इस्तेमाल जैसी साधारण बात हो या फिर मकान के लिए अस्वीकृति जैसी गंभीर बात, यह याद रखें कि आपको समानता का अधिकार है । और इस अधिकार को लागू करने के लिए आपके पास कानूनी व्यवस्था का सहारा है ।

लॉयर्स कलेक्टिव एच.आई.वी./एड्स युनिट, एच.आई.वी. या एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देती है । अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

- निचला तल, जलाराम कृपा, ६१, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.
  दूरभाष : ०२२-२२८७५४८२ / ३, २२८३२७७९ फैक्स : ०२२-२२८२१७२४
  ई-मैल : aidslaw@lawyerscollective.org
- ६३/२, मस्जिद रोड, प्रथम तल, जंगपुरा, नई दिल्ली -१४.
  दूरभाष : ०११-२४३७७१०१/२/२२३७ फैक्स : ०११-२४३७२२३६
  ई-मैल : aidslaw1@lawyerscollective.org
- प्रथम तल, ४ए, एम. ए. हुसैन रोड, ऑफ पार्क रोड, टस्कर टाऊन, शिवाजी नगर, बैंगलोर-५६० ०५१
  दूरभाष : ०८०-४१२३९१३० / १ फैक्स : ०८०-४१२३९२८९
  ई-मैल : aidslaw2@lawyerscollective.org

वेबसाईट : www.lawyerscollective.org

क्या आप एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित है ?

जानिए अपने अधिकार

आपके मौलिक अधिकार

हमारे देश में हर व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए है । इन अधिकारों पर किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान का कोई असर नहीं पडता । सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति एच.आई.वी. से प्रभावित है, उसके मौलिक अधिकार नहीं बदलते। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मूलभूत अधिकारों को जानें और यह याद रखें कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कुछ कर सकते हैं । एच.आई.वी. से संबंधित तीन मूल अधिकारों का विवरण प्रस्तुत है :

सूचित स्वीकृति का अधिकार

किसी काम के लिए अनुमति देने को स्वीकृति कहा जाता है । कानूनी शब्दों में जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु के एक ही या एक जैसे ही अर्थ पर सहमत हों तो उसे स्वीकृति कहते हैं ।

- स्वीकृति स्पष्ट हो सकती है । स्पष्ट स्वीकृति लिखित या जबानी हो सकती है । स्वीकृति कार्य या व्यवहार द्वारा सांकेतिक भी हो सकती है जैसे सिर हिलाना ।
- स्वीकृति साधारण हो सकती है, जैसे एक साथ कई चीजों के लिए ली गई स्वीकृति । जब यह किसी विशेष उद्देश्य से ली जाए तो विशिष्ट स्वीकृति कही जाती है ।

- स्वीकृति मुक्त स्वीकृति होनी चाहिए । अगर स्वीकृति बल प्रयोग, गलती, मिथ्या विवरण, धोखा या गलत प्रभाव द्वारा ली गई हो तो वह मुक्त स्वीकृति नहीं है ।
- यह जरुरी है कि स्वीकृति सूचित हो। यह चिकित्सक - रोगी के रिश्ते में खासकर जरुरी होता है । चिकित्सक ज्यादा जानता है और रोगी उस पर विश्वास करता है । यह माना जाता है कि किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया से पहले चिकित्सक रोगी को उसमें शामिल खतरों और दूसरे विकल्पों से परिचित कराए जिससे कि वह रोगी यह फैसला कर सके कि उसे इस प्रक्रिया को झेलना है या नहीं ।
- एच.आई.वी. के परिणाम दूसरी बीमारियों से बहुत अलग हैं । यही कारण है कि इसकी जाँच के लिए जाँचे जानेवाले व्यक्ति की विशिष्ट और सूचित स्वीकृति जरुरी है । दूसरे निर्णायक जाँचों की स्वीकृति को एच.आई.वी. जाँच के लिए सांकेतिक स्वीकृति नहीं माना जा सकता । अगर सूचित स्वीकृति नहीं ली गई है, तो हो सकता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जिसके लिए आप न्यायालय में प्रतिकार कर सकते हैं ।

हमेशा चिकित्सक से यह पूछना याद रखे कि कौन सी जाँच और दवाइयाँ आपको दी जा रही है और क्यों । यह आपको अपने स्वास्थ्य की परेशानियों को समझने में मदद करेगा । अधिकतर चिकित्सक इस काम में आपकी मदद करने के लिए समय जरुर निकालेंगे । आखिर चिकित्सक इसी काम के लिए हैं ।

गोपनीयता का अधिकार

सरल भाषा में गोपनीयता का मतलब है, किसी विशिष्ट जानकारी को अपने तक ही रखना बिलकुल किसी रहस्य की तरह ।

- जब भरोसेपर आधारित किसी गोपनीय रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुप्त जानकारी देता है तो गोपनीयता बनती है । ऐसे रिश्तों में दी गई गुप्त जानकारियों को गुप्त ही रखा जाना चाहिए ।
- जब किसी भरोसा किए जानेवाले व्यक्ति को आप कोई गुप्त जानकारी देते हैं और वह व्यक्ति वह जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को देता है तो यह माना जाता है कि उसने गोपनीयता भंग की है ।
- एक रोगी की तरफ चिकित्सक का पहला फर्ज़ उसके द्वारा दी गई जानकारी को गुप्त रखने का होता है । अगर इस गोपनीयता के भंग होने के आसार हों या यह गोपनीयता भंग हो गई हो तो आपका यह अधिकार है कि आप न्यायालय में क्षतिपूर्ति धन के लिए अभियोग चलाएँ ।
- एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने से इस डर से भयभीत रहता है कि कहीं उसकी एच.आई.वी. स्थिति की जानकारी सार्वजनिक न हो जाए । लेकिन 'व्यक्तित्व दमन' की नीति का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति कल्पित नाम से मुकदमा कर सकता है । यह फायदेमंद नीति यह निश्चित करती है कि एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्ति बिना सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव के न्याय खोज सकते हैं ।